फर्द अहकाम

[illegible] वगैरह बनाम [illegible] वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 84/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	22/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली प्रारम्भिक बहस वास्ते दिनांक 25/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	25/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली प्रारम्भिक बहस दिनांक 26/11/24 को पेश हो। पुनश्च: वकील उभय पक्षों की बहस सुनी। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 26/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	26/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित मूल वाद में कार्यवाही करते हुए स्थगन किये जाने हेतु इस आशय से आग्रह कि मूल वाद आदेश से विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा वकील उभय पक्षों की बहस को मनन किया गया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 188 रा०का०अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] रजिस्टर से करके बाद मियाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

तारीख दायर 01 / 07 / 2022

तारीख फैसला 26 / 11 / 2024

मिसल नं.
34 / 2022

1. जयराम पुत्र रामला उर्फ रामजीलाल
2. नारायण सहाय पुत्र रामला उर्फ रामजीलाल

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र नानगराम मीना
2. हिरालाल उर्फ सोमाणी पुत्र नानगराम मीना
3. नानगराम पुत्र लादूराम मीना

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

4. राज्य सरकार जरिये तहसीदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
श्री रामस्वरूप शर्मा :– वकील वादीगण।
श्री रमेश कुमार जाजोरिया :– वकील प्रतिवादी सं0 01 ता 03

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एड0 श्री रामस्वरूप शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण
इस कथन के साथ पेश किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 142 / 1
रकबा 1.4542है0, खसरा नम्बर 134 रकबा 2.3393है0 वादीगण की शामलाती भूमि है
जो कि ग्राम मानोता तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जो कि उक्त
भूमि राजस्व रिकार्ड में वादी सं0 1 के नाम हिस्सा 4 / 15 व वादी सं0 2 के नाम
4 / 15 भाग दर्ज स्थित है जिस पर वादीगण कब्जा काश्त चले आ रहे है। उक्त भूमि
से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है तथा प्रतिवादीगण की भूमि खसरा
नम्बर 143 वादीगण की भूमि के लगवा स्थित है जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण
जबरन वादीगण के कब्जे काश्त की भूमियों पर कब्जा करने उतारू है और वादीगण
को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकीया देते है तथा पुख्ता निर्माण कार्य करने पर
आमादा है तथा वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है
इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है।
अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 142 / 1 रकबा 1.4542है0, खसरा नम्बर
134 रकबा 2.3393है0 स्थित ग्राम मानोता, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण कर कब्जा नही करे, वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण की भूमि में से किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करें, वादीगण की भूमि की सीमाओं को नष्ट नही करे, वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से वकील श्री रमेश कुमार जाजोरिया ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जवाब नही देकर सीधी बहस करना चाही। अतः वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अतः वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाकै ग्राम मानोता, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 142/1 रकबा 1.4542है0, खसरा नम्बर 134 रकबा 2.3393है0 में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण कर कब्जा नही करे, वादीगण के उपयोग उपभोग व कब्जे व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण की भूमि में से किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करें, वादीगण की भूमि की सीमाओं को नष्ट नही करे, वादीगण को वादीगण के कब्जे से बेदखल नही करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 26/11/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर